<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>30/08/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आँचलिक कार्यालय ने 28.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) से संबंधित 31.93 करोड़ रुपये की चल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड (एलएमपीएल) ने एसटीसी अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके 2000 किलोग्राम सोने के लिए झूठे आयात मांगपत्र बनाए। इन मांगों को आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को दरकिनार करने के लिए दो अलग-अलग अनुरोधों में विभाजित किया गया था, जिसके लिए उच्च अनुमोदन की आवश्यकता थी। इन फर्जी मांगों के आधार पर, एसटीसी अधिकारियों ने धोखाधड़ी से एसबीआई से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का फॉरवर्ड एक्सचेंज कवर हासिल किया। यह कवर उस सोने के लिए विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करने के लिए था, जिसका वास्तव में कभी आयात ही नहीं किया गया था। सोना आयात न किए जाने के बावजूद, एलएमपीएल ने एसटीसी अधिकारियों के साथ मिलकर, दो महीने बाद ही फॉरवर्ड कवर को रद्द करने की मांग की। इस चाल के परिणामस्वरूप मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड को 31.93 करोड़ रुपये का गलत लाभ हुआ।

जांच के दौरान, यह पता चला कि वास्तव में सोने का आयात न किए जाने के बावजूद, एलएमपीएल ने फॉरवर्ड कवर को रद्द करने की साजिश रची, जिसके परिणामस्वरूप 31.93 करोड़ रुपये का गलत लाभ हुआ। इन अवैध लाभों को फिर मेसर्स लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड के वैध व्यावसायिक संचालन में शामिल कर लिया गया, जिसमें आगे सोने का आयात भी शामिल है।

आगे की जांच हो रही है।